

सत्र ..... शिक्षा अनुदान (पूर्व सैनिक, हवलदार रैंक तक / विधवाएं, जे०सी०ओ० रैंक तक के लिए पहली से पाँचवीं / छठवीं से दसवीं / ग्यारहवीं से आगे (विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान के छात्र / छात्राओं के लिए) के लिए आवेदन पत्र।

**भाग - "क"**

(आवेदक / आवेदिका का विवरण)

हाल का पासपोर्ट  
फोटो चिपकाए

1. आवेदक / आवेदिका का नाम (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ).....  
भूतपूर्व सैनिक / पति का न० ..... रैंक ..... नाम .....  
अलंकरण .....
2. रेजिमेंट / कोर .....
3. स्थाई पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :  
ग्राम ..... पोस्ट ..... जिला .....  
पिन ..... मोबाईल न० .....
4. पत्राचार पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :  
ग्राम ..... पोस्ट ..... जिला .....  
मोबाईल न० .....
5. सेना में भर्ती की तिथि .....
6. सेना से निवृत्ति / मृत्यु की तिथि .....
7. सेना से निवृत्ति का कारण .....
8. बैंक का नाम एवं पता .....
9. बैंक का खाता संख्या .....
10. बैंक का IFSC/NEFT कोड .....

(बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति संलग्न करें जिसमें खाता संख्या तथा IFSC/NEFT कोड दर्ज हो)

**घोषणा**

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैंने वर्तमान सत्र के लिए पूर्व में किसी भी स्रोत से शिक्षा अनुदान प्राप्त नहीं किया है एवं उपर्युक्त विवरणी सही है।

दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक / आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम : .....

**नोट :** आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

- |  |   |
|--|---|
| 1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति              | 2. पेंशन अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति     |
| 3. आधार कार्ड की छायाप्रति                 | 4. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र       |
| 5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति | 6. शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र |

## खण्ड - "ख"

(शिक्षण संस्थान द्वारा भरा जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि :-.....पिता .....के पुत्र/पुत्री हैं।

11. इनका नामांकन तिथि .....सत्र ..... के लिए है।
12. इनकी जन्म तिथि ..... है।
13. सत्र ..... में..... वर्ष ..... के छात्र/छात्रा हैं/थे तथा वार्षिक परीक्षा में ..... प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हुए थे अब सत्र ..... में वर्ष.....के छात्र/छात्रा हैं (वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक की छायाप्रति संलग्न करें)।
14. यह विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन्हे सत्र .....के लिए अन्य किसी श्रोत से शिक्षा अनुदान हेतु अनुशंसित नहीं किया गया है।

तिथि : ..... विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान के प्रधान  
का हस्ताक्षर एवं मुहर

## खण्ड - "ग"

(कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन)

15. आवेदक का विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है एवं अनुदान भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : ..... कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर  
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

16. कल्याण व्यवस्थापक श्री ..... के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को शिक्षा अनुदान भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : ..... जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, .....

.....  
**आवश्यक शर्तें :-**

- (क) भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है।
- (ख) त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः रद्द समझे जाएंगे और उन पर किसी तरह का पत्राचार अमान्य होगा।
- (ग) आवेदन पत्र स्वयं भू०पू० सैनिक/विधवा अपने क्षेत्रीय जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करेंगे।
- (घ) शिक्षा अनुदान का भुगतान निदेशालय द्वारा क्रमशः जनवरी-मार्च में दिया जाएगा। इसके पूर्व भुगतान के संबंध में किसी तरह का पूछ - ताछ करने की आवश्यकता नहीं है।
- (च) अस्वीकृत आवेदन पत्र की छायाप्रति आवेदनकर्ता के अवलोकनार्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।
- (छ) वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को ही यह आर्थिक अनुदान अनुमान्य होगा।
- (ज) बच्चे का जन्म तिथि सेवा विमुक्ति प्रमाण-पत्र तथा स्कूलों/कॉलेजों में दर्ज जन्म तिथि में एक वर्ष से अधिक अन्तर होने से B.O.O./निदेशक सै०क०नि०, झारखंड का फैसला मान्य होगा।
- (झ) बच्चे का नाम सेवा विमुक्ति प्रमाण-पत्र तथा स्कूलों/कॉलेजों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्रों में एक रूपता होनी चाहिए।